अध्याय 3 ग्राम एवं गृह विद्युतीकरण

3.1 राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की भौतिक प्रगति

3.1.1 आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई

मार्च 2020 तक आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)) और डीडीयुजीजेवाई के तहत कार्यों का लक्ष्य और उपलब्धि **तालिका 3.1** में दी गई है:

तालिका 3.1: आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत कार्य का लक्ष्य और उपलब्धि

अवयव /योजना	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)			डीडीयुजीजेवाई		
	डीपीआर के अनुसार लक्ष्य	टीकेसी द्वारा सर्वेक्षण के बाद का लक्ष्य	उपलब्धि मार्च 2020	डीपीआर के अनुसार लक्ष्य	पुनरीक्षित लक्ष्य मार्च 2020	उपलब्धि मार्च 2020 (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7
गांव जिसका विद्युतीकरण करना था	18,092	10,752	10,752	11,788	17,430	15,750 (90.36)
बीपीएल विद्युत-संबंध	4,71,971	2,71,670	2,71,670	3,38,401	3,53,587	3,50,454 (99.11)
एपीएल विद्युत-संबंध	7,07,505	95,768	95,631	5,13,632	3,62,137	3,62,034 (99.97)

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा)

उपरोक्त तालिका टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) द्वारा किए गए वास्तविक सर्वेक्षण के बाद प्राप्त लक्ष्य की तुलना में डीपीआर के अनुसार लक्ष्य में संभावित भिन्नता को दर्शाती है। हालांकि, टीकेसी को सौंपे गए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य लगभग पूरे हो चुके थे। भिन्नताएं मुख्य रूप से पहले से विद्युतीकृत/अस्तित्वहीन गांवों को डीपीआर में शामिल करने के कारण पाई गई, जो बिना क्षेत्र-सर्वेक्षण के तैयार किए गए थे जैसा कि **कंडिका 2.4.3.** में वर्णित है।

3.1.2 सौभाग्या/एजीजेवाई/टीएमकेपीवाई/जेएसबीएवाई

लेखापरीक्षा ने देखा कि अक्टूबर 2017 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान सौभाग्या के तहत 17,64,248 विद्युत-संबंध लक्ष्य के विरुद्ध कुल 9,65,109 विद्युत-संबंध (54.70 प्रतिशत) जारी किए गए थे, जबकि एजीजेवाई के तहत 3,64,500 विद्युत-संबंधों के लक्ष्य के विरुद्ध 1,85,593 विद्युत-संबंध (50.92 प्रतिशत) जारी किए गए। यद्यपि, जेएसबीवाई के अंतर्गत 6,41,377 विद्युत-संबंध के लक्ष्य के विरूद्ध जारी किए गए विद्युत-संबंधों की संख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। टीएमकेपीवाई के तहत् नदियों या नहरों में सिंचाई के लिए पानी की कमी के

कारण संभावित कृषि-उपभोक्ताओं से विद्युत-संबंध मांग की कमी के कारण 3,03,750 कृषि पंप विद्युत-संबंध के लक्ष्य के विरूद्ध कोई विद्युत-संबंध जारी नहीं किया गया।

3.2 ग्राम विद्युतीकरण और विद्युत्-संबंध जारी करना

विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, एक गांव को विद्युतीकृत माना जाता है यदि (i) दलित बस्तियों, जहां यह मौजूद हों, सहित बसे हुए इलाके में वितरण ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइनें जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; (ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि को बिजली प्रदान की जाती है; और (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या एक गांव के कुल घरों का कम से कम 10 प्रतिशत है जिसे 100 और उससे अधिक की आबादी वाले गांव/आबादी में सभी घरों को आच्छादित करने के लिए बढ़ाया जाता है।

3.2.1 ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति न होना

मार्च 2020 तक ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि **तालिका 3.2** में दी गई है:

तालिका 3.2: मार्च 2020 तक आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य और उपलब्धि

जिला का नाम	आरजीजीवीवाई की स्थिति (XII पंचवर्षीय योजना)			डीडीयुजीजेवाई की स्थिति		
	डीपीआर के अनुसार लक्ष्य	बीओक्यू फ्रीजिंग/क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद का लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	डीपीआर के अनुसार लक्ष्य	बीओक्यू फ्रीजिंग/क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद का लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
धनबाद	1,010	619	619 (100)	277	339	339 (100)
देवघर	1,793	1,686	1,686 (100)	470	543	543 (100)
पाकुड़	1,158	615	615(100)	243	506	350 (69)
पलामू	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) में शामिल नहीं है			1,244	1,711	1,180 (69)
गिरिडीह	2,234	954	942(99)	1,329	1,665	1,540 (92)
दुमका	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) में शामिल नहीं है			714	2,633	2,626 (99)
राँची	1,269	741	741(100)	832	528	528 (100)
कुल	**7,464**	**4,615**	**4,603**	**5,109**	**7,925**	**7,106 (89.67)**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत डीपीआर और डेटा से संकलित)

जैसा कि **तालिका 3.2** में दिखाया गया है, तीन जिलों में डीडीयुजीजेवाई के तहत गांवों का विद्युतीकरण कार्य धीमा था और मार्च 2020 तक प्रगति 69 से 100

प्रतिशत के बीच थी, हालांकि इन्हें जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 के बीच पूरा किया जाना था। विलंब का कारण मुख्य रूप से संवेदक के अनुमोदन में विलंब, गारंटीकृत तकनीकी मानकों (जीटीपी) और आरेख के अनुमोदन में विलंब, सामग्री निरीक्षण निकासी प्रमाण पत्र जारी करने में विलंब, संयुक्त माप प्रमाण-पत्र (जेएमसी) जारी करने में विलंब, देर से भुगतान, बीओक्यू को फ्रीज करने में विलंब, जेबीवीएनएल द्वारा संवेदकों को गांवों की सूची देर से जमा करना, परियोजना निगरानी एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति जनशक्ति की कमी और बीओक्यू जमा करने में विलंब, दोषों का सुधार, वन मंजूरी आवेदन जमा करना, साइट कार्यालयों को अंतिम रूप देना, परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति, सामग्री की कमी, जनशक्ति की कमी, कार्य निष्पादन की धीमी गति, टीकेसी आदि द्वारा कार्य पूरा किए बिना जेएमसी प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा की तिथि (मार्च 2020) तक कार्य समाप्त नहीं होने का कारण, धीमी निष्पादन के कारण पाकुड़ और पूर्वी सिंहभूम के टीकेसी को रद्द (जनवरी 2019) करना तथा उसके कारण पुनर्निविदा एवं कार्यों का पुनरावंटन (मार्च 2019) था।

अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) प्रबंधन/विभाग ने कहा कि विलंब प्रक्रियात्मक कारणों से हुई थी और आश्वासन दिया कि जेबीवीएनएल भविष्य में इस तरह की विलंब को कम करेगा।

3.2.2 विद्युत-संबंध के लक्ष्य की प्राप्ति न होना

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)/डीडीयुजीजेवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बीपीएल परिवारों को एक एलईडी लैंप के साथ मुफ्त विद्युत-संबंध प्रदान किया जाना था जबकि एपीएल परिवारों को सशुल्क विद्युत-संबंध प्रदान किया जाना था। मार्च 2020 तक बीपीएल और एपीएल विद्युत-संबंध के लक्ष्य और उपलब्धियां **तालिका 3.3** में दी गई हैं:

तालिका 3.3: मार्च 2020 तक आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत विद्युत-संबंध का लक्ष्य और उपलब्धि

जिला का नाम	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) की स्थिति				डीडीयुजीजेवाई की स्थिति			
	बीपीएल		एपीएल		बीपीएल		एपीएल	
	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिशत)
धनबाद	17,858	13,332 *(85)*	0	1,212(-)	16,000	11,077 *(69)*	2,000	3,944 *(197)*
देवघर	24,603	17,731*(72)*	-	-	5,718	3,152 *(55)*	14,312	12,417 *(97)*
पाकुड़	21,944	16,183*(74)*	-	-	1,457	25	-	-
पलामू	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) में शामिल नहीं है				74,613	28,228 *(38)*	-	-
गिरिडीह	17,000	13,620*(80)*	4,000	4,000 *(100)*	38,984	31,630 *(81)*	36,614	19,210 *(52)*
दुमका	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) में शामिल नहीं है				4,422	10,492 *(237)*	0	5,528 (-)
राँची	23,331	23,331*(100)*	2,831	2,269 *(80)*	13,111	13,111 *(100)*	8,374	8,374 *(100)*
कुल	**1,04,736**	**84,197**	**6,831**	**7,481**	**1,54,305**	**97,715**	**61,300**	**49,473**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

तालिका 3.3 से, यह देखा जा सकता है कि आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत लक्ष्य के विरुद्ध 80 प्रतिशत बीपीएल और 110 प्रतिशत एपीएल विद्युत-संबंध जारी किए गए थे, जबकि डीडीयुजीजेवाई के तहत 63 प्रतिशत बीपीएल और 81 प्रतिशत एपीएल विद्युत-संबंध जारी किए गए थे। ग्राम विद्युतीकरण में विलम्ब के कारण जैसा कि **कंडिका 3.2.1** में चर्चा की गई है, लाभार्थियों को विद्युत-संबंध प्रदान करने में विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि टीकेसी को संभावित लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने में जेबीवीएनएल की विफलता के कारण एपीएल विद्युत-संबंधों में और विलंब हुआ। धनबाद और दुमका में डीडीयुजीजेवाई के तहत एपीएल और बीपीएल विद्युत-संबंध के लिए उपलब्धि उसके लक्ष्य से अधिक थी जो दर्शाता है कि क्षेत्र सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 12,826 विद्युत-संबंध[26] के लक्ष्य के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर 5,204 विद्युत-संबंध[27] जारी किए गए, डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत 95,568 बिना मीटर[28] वाले विद्युत-संबंधों को मीटर विद्युत-संबंध में परिवर्तित किया गया और 2,352 खराब मीटरों[29] को बदला गया।

यद्यपि योजना निर्देशिका के अनुसार केवल बीपीएल उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत-संबंध प्रदान करना था। फिर भी जेबीवीएनएल ने दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एपीएल उपभोक्ताओं को 56,954 विद्युत-संबंध नि:शुल्क जारी किए जिस पर जेबीवीएनएल ने ₹ 15.85 करोड़[30] का परिहार्य व्यय किया।

प्रबंधन/विभाग ने बीपीएल और एपीएल विद्युत-संबंध के लक्ष्यों को प्राप्त न करने के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) कहा कि सौभाग्या दिशानिर्देशों के अनुसार एपीएल उपभोक्ताओं को विद्युत-संबंध प्रत्येक एपीएल से ₹ 500 या ₹ 50 की 10 किश्तों का भुगतान प्राप्त करने के बाद जारी किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये विद्युत-संबंध आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत मानदंडों का उल्लंघन करते हुए बिना कोई भुगतान प्राप्त किए जारी किए गए थे। प्रत्येक एपीएल उपभोक्ता से ₹ 500 या ₹ 50 की 10 किश्तों की प्राप्ति के संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

---

26 देवघर (526), धनबाद (625), दुमका (96), गिरिडीह (3602), पलामू (3438), पाकुड़ (2137) और राँची (2382)

27 देवघर (246), धनबाद (238), दुमका (874), गिरिडीह (1065), पलामू (1976), पाकुड़ (432) और राँची (373)।

28 गिरिडीह (27348), देवघर (5809), धनबाद (18179), पाकुड़ (616), राँची (36500) पलामू (4334) और दुमका (2782)

29 गिरिडीह (1061), धनबाद (1291)

30 56954x ₹ 2784 (नए विद्युत-संबंध प्रदान करने की औसत दर) = ₹ 15.85 करोड़।

3.2.3 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्या

योजना के अंतर्गत निर्धारित श्रेणी [31]के परिवारों को नि:शुल्क विद्युत-संबंध दिया जाना था। सात मदों[32] में से कम से कम एक अभाव वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत-संबंध के लिए चिन्हित किया जाना था। डीडीयुजीजेवाई के तहत आच्छादित न किए गए बिजली से वंचित कोई भी बीपीएल परिवार नि:शुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र थे। उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अविद्युतीकृत परिवारों को ₹ 500 प्रति विद्युत-संबंध के भुगतान पर विद्युत-संबंध प्रदान किया जाना था, जिसे ऊर्जा बिलों के साथ ₹ 50 की 10 मासिक किश्तों में वसूल किया जाना था।

इसके अलावा, जेबीवीएनएल ने सभी जीएम-सह-मुख्य अभियंता, ईएसए और डीजीएम-सह-नोडल अधिकारियों को सौभाग्या दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत-संबंध जारी करने का निर्देश (अप्रैल 2018) दिया। इसके लिए गांवों में सर्वेक्षण कराया जाना था ताकि नि:शुल्क या सशुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों की सूची तैयार की जा सके। नि:शुल्क विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए, जेबीवीएनएल (अप्रैल 2018) ने संवेदकों को भुगतान किए जाने के लिए करों सहित अधिकतम ₹ 3,000 की दर निर्धारित की। तथापि, कार्यादेश देने से पहले संबंधित उप-महाप्रबंधकों द्वारा दरों की तर्कसंगतता का आकलन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात नमूना-जांचित जिलों में मार्च 2020 तक सौभाग्या के अंतर्गत 2,84,485 विद्युत-संबंध जारी किए गए थे। इनमें से आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई में लगे टीकेसी ने ईएससी के मौखिक अनुरोध पर 23,248 एपीएल विद्युत-संबंधों सहित 28,930 विद्युत-संबंध[33] जारी किए, जिसके लिए कोई कार्यादेश जारी नहीं किए गए थे। शेष 2,55,555 विद्युत-संबंध सौभाग्या के तहत जेबीवीएनएल और ईएससी द्वारा जारी किए गए कार्यादेशों के विरुद्ध एजेंसियों द्वारा जारी किए गए थे जैसा कि **तालिका 3.4** में दिया गया है:

---

31 आश्रय विहीन परिवार, भिक्षा में रहने वाले निराश्रित व्यक्ति, हाथ से मैला ढोने वालों का परिवार, आदिम आदिवासी समूह, कानूनी रूप से रिहा किए गए बंधुआ मजदूर।

32 (i) केवल एक कमरे, कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले परिवार, (ii) 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं वाले परिवार, (iii) 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क पुरुष सदस्य वाले महिला मुखिया वाले परिवार (iv) विकलांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य वाले परिवार (v) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवार, (vi) 25 वर्ष से अधिक के साक्षर वयस्क वाले परिवार और (vii) भूमिहीन परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक रूप से आकस्मिक श्रम से प्राप्त करते हैं।

33 देवघर (24,930) और राँची (4,000)

तालिका 3.4: कार्यादेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा जारी किए गए विद्युत-संबंधों की विवरणी

जिला	कार्यादेश के अनुसार मात्रा	बीपीएल विद्युत-संबंध दिया गया	एपीएल विद्युत-संबंध दिया गया	कुल उपलब्धि	कमी
धनबाद	20,900	3,937	2,335	6,272	14,628
देवघर	19,000	2,638	3,923	6,561	12,439
पाकुड़	67,377	142	18,258	18,400	48,977
पलामू	1,25,821	753	72,714	73,467	52,354
गिरिडीह	58,064	16,125	24,591	40,716	17,348
दुमका	58,711	1982	55,363	57,345	1,366
राँची	56,323	4,300	48,494	52,794	3,439
कुल	**4,06,196**	**29,877**	**2,25,678**	**2,55,555**	**1,50,551**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि:

- जेबीवीएनएल ने संवेदक को आदेश देने से पहले उचित सर्वेक्षण के माध्यम से सौभाग्या के तहत नि:शुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र लाभार्थियों का मूल्यांकन सुनिश्चित नहीं किया। इसके बजाय, संवेदक को विद्युत-संबंध का लक्ष्य दिया गया था, जिसके विरुद्ध उन्होंने अपने स्वयं के आकलन के अनुसार नि:शुल्क विद्युत-संबंध जारी किए। यह देखा गया कि सौभाग्या के तहत नमूना-जांचित जिलों (**तालिका 3.4**) में 4,06,196 घरेलू विद्युत-संबंध जारी किए जाने थे, जो कि 3,31,234 विद्युत-संबंधों[34] के संयुक्त लक्ष्य से अधिक था। यह इंगित करता है कि जेबीवीएनएल ने डीडीयुजीजेवाई के लक्ष्य के तहत गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण परिवारों के एक बड़े हिस्से को आच्छादित नहीं किया, हालांकि इस योजना में सभी ग्रामीण घरों में विद्युत-संबंध की परिकल्पना की गई थी।

- यह देखा गया कि सौभाग्या के तहत 32,603 विद्युत-संबंध[35], संवेदकों को कार्यादेश जारी करने (नवंबर 2018 और फरवरी 2019 के बीच) से एक से 26 महीने पहले (जनवरी 2017 और फरवरी 2019 के बीच) जारी किए गए थे। इनमें आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत काम कर रहे टीकेसी द्वारा जारी किए गए 17,760 विद्युत-संबंध शामिल थे, जिनमें मान्य दर ₹ 2,839 और ₹ 3,000 प्रति विद्युत-संबंध के बीच थी। इसी प्रकार डीडीयुजीजेवाई के टीकेसी द्वारा 13,928 विद्युत-संबंध जारी किए गए, जहां प्रति विद्युत-संबंध मान्य दर ₹ 2,024 से ₹ 2,425 के बीच थी। शेष 915 विद्युत-संबंधों को अन्य संवेदकों द्वारा जारी किए जाने के रूप में सूचित किया गया था जो विद्युत-संबंध जारी करने से संबंधित किसी अन्य योजना के तहत काम नहीं कर रहे थे। कार्यादेश देने से पहले संवेदकों द्वारा विद्युत-संबंध जारी किया जाना संवेदकों और जेबीवीएनएल के अधिकारियों की मिलीभगत को इंगित करता है।

---

[34] आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना): 1,15,629 और डीडीयुजीजेवाई: 2,15,605

[35] धनबाद: 862, गिरिडीह: 21308, दुमका: 755, पलामू: 6694, पाकुड़: 500 और राँची: 2484

लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021), प्रबंधन/ विभाग ने कहा कि कमी मुख्य रूप से अनिच्छुक उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या, बुनियादी ढांचे की कमी के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में संशोधन के कारण थी। तथापि, कार्यादेश जारी करने से पूर्व जारी किए गए संवेदकों और विद्युत-संबंधों को आदेश देने से पूर्व उचित सर्वेक्षण के माध्यम से सौभाग्या के अंतर्गत नि:शुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र लाभार्थियों के गैर-आकलन पर उत्तर मौन था।

उपभोक्ताओं की अनिच्छा के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेबीवीएनएल ने संभावित लाभार्थियों की पहचान और सूची तैयार किए बिना टीकेसी को कार्य सौंप दिया था।

3.2.4 अटल ग्राम ज्योति योजना (एजीजेवाई)

भारत सरकार ने अटल ग्राम ज्योति योजना (एजीजेवाई) शुरू की (अप्रैल 2015), जिसके तहत एक वर्ष में 30 गांवों के 50 एपीएल परिवारों को लगातार तीन वर्षों तक नि:शुल्क विद्युत-संबंध जारी किया जाना था। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विधानसभा सदस्य (एमएलए) द्वारा गांवों और घरों का चयन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जेबीवीएनएल ने दो योजनाओं के कार्यक्षेत्र को मिलाकर क्रमशः एजीजेवाई और टीएमकेपीवाई के तहत 3,64,500 एपीएल विद्युत-संबंध और 3,03,750 कृषि पंप विद्युत-संबंध[36] प्रदान करने के लिए तीन टीकेसी[37] को ₹ 271.90 करोड़[38] के कार्यादेश जारी किए (मई 2016 और अगस्त 2016)। कार्य कार्यादेश जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर पूर्ण किये जाने थे। टीकेसी ने कृषि पंप विद्युत-संबंध प्रदान नहीं किए क्योंकि संभावित कृषि उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। हालांकि, अक्टूबर 2018 तक 1,85,593 एपीएल विद्युत-संबंध प्रदान किए गए थे। जेबीवीएनएल द्वारा अनुबंधों को अंततः समाप्त (अक्टूबर 2018) कर दिया गया क्योंकि टीकेसी ने मुख्य रूप से जेबीवीएनएल द्वारा गांवों की सूची प्रस्तुत करने में विलंब के कारण अनुबंध को आगे बढ़ाने में असमर्थता व्यक्त की थी।

इसके अलावा, टीकेसी ने 75,104 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को कार्य के दायरे से बाहर मीटर वाले विद्युत-संबंधों में परिवर्तित कर दिया और ₹ 30.21 करोड़ के भुगतान का दावा किया जिसका निष्पादन किया जाना बाकी है (अक्टूबर 2020)।

---

[36] 50 x 25 x 81 x 3 = 3,03,750

[37] विजय इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (ईएसए गिरिडीह, मेदनीनगर और राँची), बेंटेक इंडिया लिमिटेड (ईएसए हजारीबाग, जमशेदपुर और धनबाद) और इंडो नबिन प्रोजेक्ट लिमिटेड (ईएसए दुमका)

[38] इएसए गिरिडीह (₹ 19.60 करोड़), पलामू (₹ 29.40 करोड़), राँची (₹ 63.49 करोड़), हजारीबाग (₹ 27.39 करोड़), जमेशदपुर (₹ 43.54 करोड़), धनबाद (₹ 30.43 करोड़) तथा दुमका (₹ 58.05 करोड़)

डीडीयुजीजेवाई के तहत समान कार्य के लिए ₹ 2,958 प्रति विद्युत-संबंध (मीटर-विहीन विद्युत-संबंध का मीटर विद्युत-संबंध में परिवर्तन) की स्वीकृत दर पर गणना के अनुसार दावा राशि केवल ₹ 22.22 करोड़ होनी चाहिए थी। इस प्रकार, विद्युत-संबंध न केवल कार्य के दायरे से बाहर थे, बल्कि बढ़े हुए दावे को स्वीकार करने पर ₹ 7.99 करोड़ की परिहार्य देयता का निर्माण भी हो सकता था।

नमूना-जांचित सात जिलों में विधायकों द्वारा की गई अनुशंसाओं के संबंध में जारी किए गए विद्युत-संबंधों का विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है:

तालिका 3.5: नमूना-जांचित जिलों में जारी किए गए विद्युत-संबंधों का विवरण

जिला का नाम	विधायी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	प्रति वर्ष 30 गांवों की दर से लिए जाने वाले	विधायकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में गांवों की संख्या	विद्युत-संबंध जो जारी करना था	विद्युत-संबंध जो जारी किया गया
धनबाद	6	540	शून्य	27,000	6,896
देवघर	3	270	28	13,500	8,777
गिरिडीह	6	540	शून्य	27,000	27,990
पाकुड़	3	270	शून्य	13,500	शून्य
पलामू	5	450	262	22,500	8,812
दुमका	4	360	शून्य	18,000	शून्य
राँची	7	630	शून्य	31,500	27,737
कुल	**34**	**3060**	**290**	**1,53,000**	**80,212**

(स्रोत: योजना दिशानिर्देशों से संकलित और जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से)

तालिका 3.5 से देखा जा सकता है कि 31,500 विद्युत-संबंधों के लक्ष्य के विरुद्ध दो जिलों में कोई विद्युत-संबंध जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा दो जिलों में, संबंधित विधायकों ने केवल गांवों की सूची प्रदान की, न कि घरों की हालांकि जेबीवीएनएल द्वारा अपने स्वयं के आकलन के अनुसार 17,589 विद्युत-संबंध जारी किए गए थे। शेष तीन जिलों में जेबीवीएनएल द्वारा संबंधित विधायकों की अनुशंसा के बिना 62,623 विद्युत-संबंध जारी किए गए।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि निर्देशिका के अनुच्छेद 1 के अनुसार संबंधित विधायकों द्वारा केवल ग्राम सूची की सिफारिश की जानी है। प्रबंधन/विभाग ने यह स्वीकार करते हुए कि टीकेसी 31 अक्टूबर 2018 तक अनुबंध के पूर्ण लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ थे जो मुख्य रूप से एपीएल विद्युत-संबंध की कमी और सौभाग्या, डीडीयुजीजेवाई और XII योजना जैसी समानांतर चल रही योजनाओं के कारण था, कहा कि 75,104 मीटर-विहीन विद्युत् संबंधों को मीटर-युक्त करना निर्देशिका के अनुच्छेद 4 के अनुसार, कार्य के कार्य-क्षेत्र से बाहर नहीं थे। आगे यह भी बताया गया कि डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत काम के लिए दर उसी काम (मीटर-विहीन विद्युत-संबंध) के लिए दर से अधिक थी क्योंकि एजीजेवाई के तहत 4 वर्ग मिमी सर्विस केबल का इस्तेमाल किया गया था जबकि डीडीयुजीजेवाई में 2.5 वर्ग मिमी सर्विस केबल का इस्तेमाल किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार लाभार्थियों की सूची संबंधित विधायकों द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। इसके अलावा, झारखण्ड सरकार के तहत स्वीकृत योजना केवल उन गांवों में नए एपीएल विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए थी जहां आरजीजीवीवाई के तहत बुनियादी ढाँचा पूरा किया गया था। यह भी देखा गया कि सौभाग्या योजना के तहत 2.5 वर्ग मिमी सर्विस केबल के बजाय 4 वर्ग मिमी के उपयोग के कारण अंतर केवल ₹ 254 प्रति विद्युत-संबंध था। इसके अलावा, अंतर राशि पर विचार करने के बाद भी, सृजित परिहार्य देयता ₹ 6.08 करोड़[39] होगी।

3.2.5 जेएसबीएवाई के अंतर्गत जिलों में विद्युत-संबंध की मीटरीकरण

जेबीवीएनएल ने ईएसए के जीएम-सह-मुख्य अभियंता और ईएससी के डीजीएम-सह-नोडल अधिकारियों को जेएसबीएवाई के अंतर्गत मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को मीटर विद्युत-संबंध में बदलने के लिए मीटर और मीटर बॉक्स की आपूर्ति करने का निर्देश (फरवरी 2018) दिया। तदनुसार, संवेदकों को कार्यादेश दिए गये जिनमें सर्विस किट के साथ विद्युत-संबंध प्रदान करना था।

जेएसबीएवाई के तहत मीटर-विहीन विद्युत-संबंध के बदले बिजली मीटर लगाने के कार्य की स्थिति **तालिका 3.6** में दी गई है:

तालिका 3.6: विद्युत मीटर लगाने के कार्य की स्थिति

जिला	कार्यादेश के अनुसार मात्रा	प्रति संबंध दर (₹)	उपलब्धि	कमी
धनबाद	45,342	1,905	27,787	19,255
देवघर	95,640	1,905	0	95,640
पाकुड़	5,500	1,890	2,091	3,409
गिरिडीह	40,500	1,920	9,875	30,625
दुमका	10,000	1,920	7,999	2,001
राँची	41,866	1,815	4,558	37,328
कुल	**2,38,848**		**52,310**	**1,88,258**

(स्रोत: जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

तालिका 3.6 से यह देखा जा सकता है कि एजेंसियों ने 2,38,848 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को मीटर-युक्त विद्युत-संबंधों में परिवर्तित करने के कार्यादेशों के विरुद्ध केवल 52,310 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को मीटर संबंध में परिवर्तित किया। यद्यपि, कार्य सौंपे जाने की तिथि (मई 2019 और अक्टूबर 2019 के बीच) से दो महीने के भीतर (जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 के बीच) काम पूरा किया जाना था, मार्च 2020 तक एक से नौ महीने का विलंब था क्योंकि डीजीएम ने उपभोक्ताओं की सूची संवेदकों को उपलब्ध नहीं कराया।

---

[39] ₹ 7.99 करोड़ - ₹ 1.91 करोड़ (75104 X ₹ 254)

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि:

- राँची, गिरिडीह और पलामू जिलों में फरवरी 2019 से नवंबर 2019 के बीच कार्य आवंटन (अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 के बीच) के पूर्व ही 4,016 बिना मीटर[40] वाले संबंधों को संवेदकों द्वारा मीटर विद्युत-संबंध में बदला गया।

- पलामू जिले में डीजीएम ने 200 खराब मीटर संबंध को श्रमिक लागत के रूप में ₹ 442 प्रति विद्युत-संबंध की दर से मीटर विद्युत-संबंध में बदलने का कार्यादेश (अक्टूबर 2019) जारी किया। तथापि, उपलब्धि का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

- टीकेसी (दिसंबर 2019) ने ₹ 442 प्रति विद्युत-संबंध की दर से श्रमिक लागत के रूप में 200 विद्युत-संबंधों के आवंटन (अक्टूबर 2019) के विरुद्ध 200 ख़राब/मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को बदला। इसके अलावा, टीकेसी[41] (दिसंबर 2019) ने बिना किसी आवंटन आदेश के 2,300 विद्युत-संबंधों के विरुद्ध 294 ख़राब/मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को बदला।

- छः जिलों के 160 उपभोक्ताओं[42], जिन्हें मीटर-युक्त विद्युत-संबंध (मार्च 2019 और दिसंबर 2019 के बीच) प्रदान किया गया था, के बिलों की नमूना-जांच (मई और जून 2020) में पता चला कि 150 उपभोक्ताओं का औसत आधार पर बिल किया गया था। इसके अलावा, जेबीवीएनएल के बिलिंग पोर्टल पर 10 उपभोक्ताओं को अमान्य दिखाया गया था। इस प्रकार, मीटर-युक्त विद्युत-संबंध प्रदान करने अर्थात वास्तविक बिल प्रदान करने और परिणामस्वरूप शुद्ध ऊर्जा लेखांकन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि जेबीवीएनएल के पास मीटर की अनुपलब्धता के कारण काम में विलंब हुआ है। आगे यह भी कहा गया कि जेबीवीएनएल उपभोक्ताओं की सूची सवेद्कों को उपलब्ध करा रहा था तथा संवेदकों के विरूद्ध अर्थदण्ड लगाया गया है।

मीटर की अनुपलब्धता के संबंध में प्रबंधन/विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2,38,848 खराब/मीटर-विहीन विद्युत-संबंध को मीटर विद्युत-संबंध में बदलने के लिए कार्यादेश जारी होने की तिथि को संबंधित आपूर्ति स्टोर में 3,44,032 मीटर[43] उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं की सूची उपलब्ध कराने तथा विलम्बित कार्य के लिए अर्थदण्ड लगाने के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन/विभाग ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मीटर

---

[40] राँची (3350), गिरिडीह (589) एवं पलामू (77)

[41] मेसर्स पाण्डेय कंस्ट्रक्शन (500), मेसर्स मनीष ओझा कंस्ट्रक्शन (500), मेसर्स आसिफ पावर टेक्नोलॉजीस (1000), मेसर्स जे राम एंड संस इलेक्ट्रिकल (200) और मेसर्स श्री राम इलेक्ट्रिकल (100)

[42] राँची, धनबाद, पाकुड़ और दुमका प्रत्येक जिले में 25 और पलामू (21) और गिरिडीह (39)

[43] धनबाद (46,800), देवघर (95,992), पाकुड़ (9,000), गिरिडीह (75,800), दुमका (23,000) और राँची (93,440)

लगाने के बाद भी औसत आधार पर बिलिंग और कार्यादेश देने से पहले मीटर-विहीन विद्युत-संबंध को मीटर विद्युत-संबंध में बदलने पर भी जवाब मौन है।

3.2.6 जेएसईआरसी विनियमों के अनुसार विद्युत-संबंधों की बिलिंग न करना

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) विनियम, 2015 के खंड 10.1.7 के अनुसार, पहला बिल नए विद्युत-संबंध को विद्युतीकरण करने के दो बिलिंग चक्रों के भीतर दिया जाएगा। खंड 10.1.4 के अनुसार, सभी श्रेणियों के मीटर आधारित बिलिंग के संबंध में बिल दो महीने से अधिक की अवधि पर जारी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, जून 2017 के आदेश के अनुसार, संबंधित विद्युत आपूर्ति उप-प्रमंडल के कनिष्ठ विद्युत अभियंता (जेईई) बिलिंग मॉड्यूल के लिए विद्युत-संबंध प्रतिवेदन अपलोड करने के लिए जिम्मेदार थे। लेखापरीक्षा ने बिलिंग में निम्नलिखित अनियमितताओं को देखा:

- जैसा कि **कंडिका 3.2.2** में चर्चा की गई है, नमूना-जांचित सात जिलों में आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत कुल 2,38,866 विद्युत-संबंध जारी किए गए थे। हालांकि, मई 2020 के मौजूदा उपभोक्ताओं के आंकड़ों की तुलना आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत जारी किए गए विद्युत-संबंधों से करने पर, यह देखा गया कि केवल 1,35,301 उपभोक्ताओं[44] (57 प्रतिशत) को बिल निर्गत किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, 288 उपभोक्ताओं[45] के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि बिलिंग संबंध जारी होने की तिथि से दो से 27 महीनों के बीच की विलंब से शुरू की गई थी। शेष 1,03,509 उपभोक्ताओं के लिए ₹ 28.82 करोड़[46] का व्यय करने के बाद भी मई 2020 तक बिल निर्गत नहीं किया जा रहा था।

बिलिंग में विलंब के परिणामस्वरूप या तो ऊर्जा शुल्क की वसूली नहीं हो सकेगी या विशेष रूप से बीपीएल उपभोक्ता, भारी बकाया की मांग पर भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे।

- इसके अलावा, डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत बिना मीटर/खराब मीटर विद्युत-संबंध[47] के बदले 97,920 मीटर लगाए गए थे। ऐसे 200 उपभोक्ताओं[48] की नमूना-जांच से पता चला कि 182 उपभोक्ताओं का बिल (जुलाई 2020) नए मीटरों की

---

[44] धनबाद (12113), देवघर (13216), गिरिडीह (50124), दुमका (15467), राँची (21854), पलामू (13643) और पाकुड़ (8884)

[45] राँची (43), देवघर (71), गिरिडीह (82) दुमका (33), पलामू (29) और पाकुड़ (30)

[46] 1,03,509 x ₹ 2784 (आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत नया विद्युत-संबंध प्रदान करने की औसत दर) = ₹ 28.82 करोड़

[47] गिरिडीह (28409), देवघर (5809), धनबाद (19470), पाकुड़ (616), राँची (36500), दुमका (2782) और पलामू (4334)

[48] देवघर (25), गिरिडीह (50), राँची (25), धनबाद (25), दुमका (25), पलामू (25) और पाकुड़ (25)

स्थापना की तिथि से आठ से 23 माह बीत जाने के बाद भी वास्तविक मीटर रीडिंग के बजाय औसत आधार पर लिया जा रहा था, जबकि 12 उपभोक्ताओं को बिलिंग पोर्टल पर अमान्य दिखाया गया था। इस प्रकार, बिना मीटर/खराब मीटर विद्युत-संबंधों के बदले नए मीटरों की स्थापना पर ₹ 28.65 करोड़[49] का व्यय करने के बाद भी, जेबीवीएनएल वास्तविक ऊर्जा शुल्क वसूल करने के लिए मीटर आधारित बिलिंग सुनिश्चित नहीं कर सका।

सात नमूना-जांचित जिलों के 26 गांवों के 138 लाभार्थियों के सर्वेक्षण (सितंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच) से पता चला कि इन गांवों का अगस्त 2017 से सितंबर 2019 के दौरान विद्युतीकरण किया गया था, लेकिन तीन से 28 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी लाभार्थी को बिल प्राप्त नहीं हुआ था।

- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56 (2) के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता से देय राशि उस तिथि, जब वह राशि प्रथम बार देय हुई, से दो साल की अवधि के बाद वसूलनीय नहीं होगी जब तक कि आपूर्ति की गई बिजली के लिए बकाया शुल्क के रूप में ऐसी राशि को लगातार वसूलनीय बकाया के रूप में नहीं दिखाया गया हो और लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति बंद नहीं करेगा। आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) की समापन प्रतिवेदन की जांच से पता चला कि नमूना-जांचित सात जिलों में से छः में 2008 से 2012 के दौरान बीपीएल उपभोक्ताओं को 3,96,873 मीटर विद्युत-संबंध[50] जारी किए गए थे। इन उपभोक्ताओं को डीएस-i(ए) टैरिफ के तहत वर्गीकृत किया गया था। जेबीवीएनएल दो जिलों[51] के उपभोक्ताओं का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका और इसलिए, चार जिलों के 2,33,673 मीटर उपभोक्ताओं[52] की बिलिंग स्थिति की जांच की गई।

उपभोक्ता बही-खातों की समीक्षा[53] से पता चला कि 2,33,673 उपभोक्ताओं में से केवल 1,05,291 उपभोक्ताओं[54] का ही बिलिंग किया जा रहा था, वह भी औसत आधार पर। इस प्रकार, जेएसईआरसी विनियम 2015 के खंड 10.1.7 का उल्लंघन करते हुए 1,28,382 उपभोक्ताओं[55] का बिलिंग नहीं किया जा रहा था। इन

---

[49] ₹ 2958 प्रति मीटर की दर से 95568 मीटर और ₹1617 मीटर की दर से 2352 मीटर जो ₹ 28.65 करोड़ की गणना की गई

[50] धनबाद (33121), देवघर (29343), गिरिडीह (103259), दुमका (124054), राँची (67950) और पाकुड़ (39146)

[51] दुमका और पाकुड़

[52] धनबाद (33121), देवघर (29343), गिरिडीह (103259) और राँची (67950)

[53] धनबाद (अगस्त 2019), राँची (अगस्त 2019), देवघर (सितंबर 2019) और गिरिडीह (फरवरी 2019)

[54] धनबाद (1762), देवघर (17493), गिरिडीह (49783), और राँची (36253)

[55] 233673 घटाव 105291= 128382

उपभोक्ताओं का बिलिंग न करने से ₹ 141.61 करोड़[56] (जनवरी 2010 से जुलाई 2020) के राजस्व की हानि हुई, जिसमें से ₹ 67.09 करोड़[57] विद्युत अधिनियम की धारा 56(2) के तहत अब (जुलाई 2018 तक) वसूली योग्य नहीं है। इसके अलावा, इन 1,28,382 उपभोक्ताओं (₹ 1,809 प्रति विद्युत-संबंध की औसत दर पर गणना) को मीटर विद्युत-संबंध प्रदान करने पर किया गया ₹ 23.22 करोड़ का व्यय मीटर आधारित बिलिंग के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सका और बेकार हो गया। साथ ही 1,05,291 उपभोक्ताओं की बिलिंग मीटर-विहीन टैरिफ के अनुसार की जा रही थी। इस प्रकार इन उपभोक्ताओं के मीटर लगाने पर किया गया ₹11.15 करोड़[58] का व्यय भी व्यर्थ हो गया।

- इसी प्रकार, सौभाग्या के अंतर्गत प्रदान किए गए 2,84,485 विद्युत-संबंधों में से केवल 1,58,033 उपभोक्ताओं[59] का बिलिंग (मई 2020) किया जा रहा था जबकि ₹ 35.41 करोड़[60]खर्च करने के बाद भी 1,26,452 उपभोक्ताओं का बिलिंग नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, 143 उपभोक्ताओं[61] की विस्तृत जांच से पता चला कि विद्युत-संबंध जारी होने की तिथि से दो से 26 महीने बाद बिलिंग शुरू की गई थी।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, संबंधित जेईई आवश्यकतानुसार बिलिंग मॉड्यूल में सेवा संबंधी प्रतिवेदन अपलोड करने में विफल रहे जिसके कारण मीटरों की स्थापना पर व्यय अंततः व्यर्थ हुआ या राजस्व की हानि हुई क्योंकि प्रभारों की बकाया वसूली योग्य नहीं है।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) कहा कि राजस्व शाखा लगातार नए संबंधों का पता लगाने और बिलिंग के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ काम कर रही है।

3.2.7 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों का मीटर-युक्त संबंधों में रूपांतरण नहीं किया जाना

जेएसईआरसी ने 2019-20 के लिए अपने टैरिफ आदेश (फरवरी 2019) में, अप्रैल 2019 से प्रभावी, मीटर-विहीन टैरिफ को वापस ले लिया था और जेबीवीएनएल को

---

56 ₹ 10.71 करोड़ देवघर, ₹ 36.61 करोड़ धनबाद, ₹ 61.76 करोड़ गिरिडीह और ₹ 32.53 करोड़ राँची ने बिना मीटर वाले कुटीर ज्योति संबंध की गणना की।

57 ₹ 5.25 करोड़ देवघर, ₹ 17.79 करोड़ धनबाद, ₹ 29.68 करोड़ गिरिडीह और ₹ 14.37 करोड़ राँची ने बिना मीटर वाले कुटीर ज्योति संबंध की दर से गणना की।

58 ₹ 1809 घटाव ₹ 750 (बिना मीटर के विद्युत-संबंध का दर),

59 धनबाद: 1682, देवघर: 7345, गिरिडीह: 27592, दुमका: 49927, पलामू 26431, पाकुड़: 10812 और राँची : 34244.

60 1,26,452 x ₹ 2800 (सौभाग्या के तहत नया विद्युत-संबंध प्रदान करने की औसत दर) = ₹ 35.41 करोड़।

61 राँची (49), गिरिडीह (19), दुमका (25), पलामू (25) एवं पाकुड़ (25)

2018-19 के टैरिफ आदेश के अनुसार जून 2019 तक मीटर-विहीन विद्युत-संबंध के लिए बिलिंग करने की अनुमति दी थी, जिसे दिसंबर 2020 तक बढ़ा (अक्टूबर 2020) दिया गया था। इसके अलावा, जेएसईआरसी ने 2019-20 के अपने टैरिफ आदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर-युक्त टैरिफ यानी डीएस-I(ए) और डीएस-I(बी) 2018-19 का टैरिफ आदेश की तुलना में क्रमशः 31 प्रतिशत और 21 प्रतिशत की वृद्धि की।

अप्रैल 2019 के राजस्व विवरण (आरएस-I) की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि अप्रैल 2020 तक नमूना-जांचित सात जिलों में डीएस-I(ए) और डीएस-I(बी) श्रेणियों के तहत 8,48,445 मीटर-विहीन उपभोक्ता[62] थे। ये उपभोक्ता 2018-19 के टैरिफ आदेश के अनुसार बिलिंग किए जा रहे थे। जेबीवीएनएल मीटरीकरण में विलंब के कारण 2019-20 के टैरिफ आदेश के आधार पर बढ़ा हुआ टैरिफ पर बिलिंग करने के अवसर से वंचित हो गया।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि सभी उपभोक्ताओं की मीटरीकरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है।

3.2.8 संग्रह दक्षता

जेबीवीएनएल जेएसईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार बिजली की बिक्री से राजस्व एकत्र करता है। झारखण्ड सरकार जेबीवीएनएल को बिलिंग किए गए उपभोक्ताओं के विभिन्न टैरिफ पर सब्सिडी प्रदान करती है तथा टैरिफ और सब्सिडी के अंतर को जेबीवीएनएल द्वारा संबंधित उपभोक्ताओं से एकत्र किया जाता है। संग्रहण दक्षता[63] का अर्थ है किसी विशेष अवधि के लिए उपभोक्ताओं से वास्तव में प्राप्त राजस्व (सरकारी सब्सिडी सहित) और उपभोक्ताओं को बिलिंग की गई ऊर्जा राशि (सरकारी सब्सिडी सहित) का प्रतिशत में अनुपात।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को डीएस-I(ए) और डीएस-I(बी) टैरिफ के तहत वर्गीकृत किया गया है। 2018-19 और 2019-20 के दौरान

---

62 गिरिडीह (171108), देवघर (132430), दुमका (145440), पलामू (79569), पाकुड़ (108465) धनबाद (69197) और राँची (142236)

63 संग्रहण क्षमता (प्रतिशत) = (एफ+जी-आई)/इ∗100 जहां इ= सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बिक्री से राजस्व (बुक की गई सब्सिडी सहित) लेकिन ऊर्जा व्यापार/अंतर-राज्यीय बिक्री से राजस्व को छोड़कर; एफ = 'इ' घटाव् सब्सिडी बुक किया गया जोड़ सब्सिडी वर्ष के दौरान बुक की गई सब्सिडी के खिलाफ प्राप्त हुई; जी = प्राप्य अनुसूची में दर्शाए अनुसार ऊर्जा की बिक्री के लिए देनदार खोलना (संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधानों में कटौती किए बिना)। बिल न किए गए राजस्व को देनदार नहीं माना जाएगा; इ= प्राप्य अनुसूची में दर्शाए अनुसार ऊर्जा की बिक्री के लिए अंतिम देनदार (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों में कटौती किए बिना)। बिल न किए गए राजस्व को देनदार के रूप में नहीं माना जाएगा और साथ ही वर्ष के दौरान उस पर सीधे बट्टे खाते में डाली गई कोई भी राशि

जेबीवीएनएल की समग्र संग्रह दक्षता क्रमशः 92 और 87 प्रतिशत थी। हालांकि, यह डीएस-I (ए) के तहत केवल 54.40 और 63.97 प्रतिशत और डीएस-I (बी) के तहत क्रमशः 56.40 और 62.26 प्रतिशत था। (***परिशिष्ट I***)

आगे यह देखा गया कि डीएस-I(ए) की संग्रह क्षमता, झारखण्ड सरकार से प्राप्त सब्सिडी को छोड़कर, 2018-19[64] और 2019-20[65] के दौरान क्रमशः केवल 15.46 और 13.98 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि[66] के दौरान टैरिफ डीएस-I(बी) के तहत यह 46.77 और 38.81 प्रतिशत थी (***परिशिष्ट I***)। जेबीवीएनएल की कुल संग्रहण क्षमता (87 से 92 प्रतिशत के बीच) की तुलना में यह खराब थी। इस प्रकार जेबीवीएनएल ग्रामीण उपभोक्ताओं से ऊर्जा प्रभार वसूल करने में विफल रहा। इसमें यह भी इंगित किया कि जेबीवीएनएल मुख्य रूप से ऊर्जा शुल्क के लिए झारखण्ड सरकार द्वारा सब्सिडी पर निर्भर था और उपभोक्ता हिस्सेदारी के संग्रहण पर जोर नहीं देता था।

प्रबंधन/विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) बताया कि राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.2.9 सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीसी) हानि

एटीसी हानि वितरण व्यवसाय की दक्षता का वास्तविक माप है क्योंकि यह तकनीकी के साथ-साथ वाणिज्यिक दोनों हानियों को मापता है। यह प्रणाली में ऊर्जा इनपुट इकाइयों और वितरित इकाइयों के बीच का अंतर है जिसके लिए भुगतान एकत्र किया जाता है। डीडीयुजीजेवाई के तहत, राज्य सरकारों के परामर्श से उर्जा मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रक्षेप वक्र के अनुसार एटीसी[67] हानियों में कमी करने पर ऋण घटक के 50 प्रतिशत को अनुदान में परिवर्तित किया जाना था।

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा जेबीवीएनएल द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत हस्ताक्षरित (जनवरी 2016) एमओयू

---

64 उठाया गया बिल: ₹400.68 करोड(सब्सिडी: ₹184.55 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹ 216.13 करोड़)। राजस्व की वसूली: ₹ 217.97 करोड़ (सब्सिडी: ₹ 184.55 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सेदारी: ₹ 33.42 करोड़)।

65 बढ़ा हुआ बिल: ₹755.70 करोड़ (सब्सिडी: ₹439.21 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹316.49 करोड़)। राजस्व की वसूली: ₹ 483.46 करोड़ (सब्सिडी: ₹ 439.21 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹ 44.25 करोड़)।

66 बढ़ा हुआ बिल: ₹537.18 करोड़ (सब्सिडी: ₹97.22 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹439.96 करोड़) और ₹836.57 करोड़ (सब्सिडी: ₹320.63 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹515.94 करोड़)। राजस्व प्राप्ति: ₹ 302.98 करोड़ (सब्सिडी: ₹ 97.22 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹ 205.76 करोड़) ₹ 520.89 करोड़ (सब्सिडी: ₹ 320.63 करोड़ और उपभोक्ता हिस्सा: ₹ 200.26 करोड़) 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः।

67 (ऊर्जा इनपुट - ऊर्जा प्राप्त) x 100/ऊर्जा इनपुट जहां ऊर्जा प्राप्त हुई = ऊर्जा बिल x संग्रह क्षमता

के अनुसार जेबीवीएनएल के एटीसी हानि का लक्ष्य तथा उसके विरुद्ध उपलब्धि (***परिशिष्ट II***) **तालिका 3.7** में दर्शाई गई है:

तालिका 3.7: झारखंड में एटीसी हानियों की लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य (प्रतिशत में)	उपलब्धि (प्रतिशत में)
2016-17	28	31.80
2017-18	22	33.81
2018-19	15	28.69
2019-20	-	33.49

(स्रोत: जेबीवीएनएल द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

यह देखा गया कि जेबीवीएनएल 2016-17 से 2019-20 के दौरान खरीदी गई ऊर्जा की तुलना में कम बिलिंग (75 से 78 प्रतिशत के बीच) के अलावा ऊर्जा शुल्क (87 से 92 प्रतिशत के बीच) की कम वसूली के कारण मुख्य रूप से एटीसी हानियों के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। एटीसी हानि को उर्जा मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर रखने में विफलता के परिणामस्वरूप, जेबीवीएनएल डीडीयुजीजेवाई के तहत ₹ 558.32 करोड़ के ऋण घटक को अनुदान में बदलने का अवसर प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा।

इसके अलावा, मार्च 2020 के राजस्व विवरण-I की जांच से पता चला कि 43.72 लाख उपभोक्ताओं (29.97 लाख ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं सहित) में से केवल 19.20 लाख उपभोक्ताओं (44 प्रतिशत) को मीटर रीडिंग (वास्तविक खपत) के अनुसार बिलिंग किया जा रहा था और शेष 24.52 लाख उपभोक्ताओं[68] (20.62 लाख ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं[69] सहित) का औसत आधार पर बिलिंग किया जा रहा था। इस प्रकार, जेबीवीएनएल ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के 69 प्रतिशत सहित 56 प्रतिशत उपभोक्ताओं की औसत बिलिंग के आधार पर एटीसी हानियों की गणना कर रहा था।

लेखापरीक्षा ने 2019-20 (मार्च 2020) के लिए राजस्व विवरण-I का विश्लेषण किया जिसमें उपभोक्ताओं के टैरिफ-वार योग और उनके द्वारा खपत की गई ऊर्जा शामिल है। यह देखा गया कि मीटर-युक्त बिलिंग के मामले में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का डीएस-I(ए) टैरिफ मासिक औसत 32 यूनिट पर बिलिंग[70] किया गया था। तथापि, जेबीवीएनएल अनुमान के आधार पर ख़राब/बिना मीटर के 93 यूनिट की बुकिंग[71] कर रहा था। उपभोक्ताओं के डीएस-I(बी) टैरिफ में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई, जहां मीटर-युक्त बिलिंग के मामले में मासिक औसत खपत

---

68 खराब मीटर उपभोक्ता 9,17,211 और बिना मीटर वाले उपभोक्ता 15,34,019

69 खराब मीटर उपभोक्ता 7,65,204और बिना मीटर वाले उपभोक्ता 12,96,414

70 2,96,356 उपभोक्ताओं के संबंध में

71 4,87,808 दोषपूर्ण मीटर उपभोक्ताओं तथा 5,02,870 मीटर न किए गए उपभोक्ताओं के संबंध में

केवल 30 यूनिट[72] थी और अनुमान के आधार[73] पर ख़राब/बिना मीटर के मामले में 187 यूनिट थी। इस प्रकार, अनुमान के आधार पर अधिक यूनिट की बुकिंग के आधार पर कम एटीसी हानि के अनुमान से इंकार नहीं किया जा सकता है। उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा खपत के आधार पर उपभोक्ताओं के लिए झारखंड सरकार द्वारा जेबीवीएनएल को सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस प्रकार, झारखंड सरकार से अधिक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अनुमान के आधार पर अधिक बिलिंग से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि झारखण्ड सरकार ने जेबीवीएनएल द्वारा दावा की गई सब्सिडी की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। आगे यह देखा गया कि सब्सिडी को छोड़कर समान श्रेणी के उपभोक्ताओं के मामले में संग्रहण दक्षता समग्र दक्षता की तुलना में बहुत कम थी जैसा कि **कंडिका 3.2.8** में चर्चा की गई है।

कई योजनाओं के तहत ऊर्जा लेखांकन में सुधार के लिए मीटरीकरण बढ़ाने के प्रावधानों के बावजूद, जेबीवीएनएल ऊर्जा शुल्क की वसूली में सुधार लाने में विफल रहा जिसके कारण एटीसी हानियों में लगातार वृद्धि हुई और सुधार योजनाएं विफल हुईं।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई/अक्टूबर 2021) कि एटीसी हानियों को कम करने के लिए बिलिंग और संग्रह प्रदर्शन में सुधार के लिए कार्रवाई की गई है।

जेबीवीएनएल को विद्युत आपूर्ति उप-प्रमंडलों के संबंधित सहायक विद्युत अभियंता (एईई) द्वारा गैर-बिलिंग और ऊर्जा शुल्क के खराब संग्रहण की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

सारांश में, *यद्यपि नमूना-जांचित सात जिलों में विद्युतीकरण लक्ष्य जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 के बीच प्राप्त किए जाने थे, डीडीयुजीजेवाई के तहत लिए गए 7,925 गांवों में से 819 (10 प्रतिशत) का विद्युतीकरण मार्च 2020 तक पूरा नहीं हुआ था। इसके अलावा, 1,15,629 विद्युत-संबंधों में से 23,951 (21 प्रतिशत) और 2,15,605 विद्युत-संबंधों में से 68,417 (32 प्रतिशत) को विभिन्न परियोजना बाधाओं के कारण क्रमशः आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई के तहत मार्च 2020 तक प्रदान नहीं किया जा सका। जेबीवीएनएल ने ₹ 15.85 करोड़ का परिहार्य व्यय किया क्योंकि डीडीयुजीजेवाई के तहत 56,954 एपीएल संबंध मानदंडों के विरुद्ध नि:शुल्क जारी किए गए थे।*

सौभाग्या के तहत, सात नमूना-जांचित जिलों में 4,06,196 विद्युत-संबंध के लक्ष्य के विरुद्ध 2,84,485 विद्युत-संबंध लाभार्थियों की पात्रता का आकलन किए बिना जारी किए गए थे। 3.64 लाख एपीएल परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 1.86 लाख

---

[72] 6,39,374 उपभोक्ताओं के संबंध में

[73] 2,77,396 दोषपूर्ण मीटर उपभोक्ताओं तथा 7,93,544 बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के संबंध में

एपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत-संबंध प्रदान करने के बाद एजीजेवाई को बंद कर दिया गया था क्योंकि जेबीवीएनएल टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) को लाभार्थियों की सूची प्रदान नहीं कर सका।

विभाग ने अप्रैल 2015 में टीएमकेपीवाई के तहत 3.04 लाख कृषि विद्युत-संबंध उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, सिंचाई के लिए पानी की कमी के कारण इस योजना के तहत किसानों से कृषि विद्युत-संबंध के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अक्टूबर 2018 में बिना कोई विद्युत-संबंध जारी किए योजना को बंद कर दिया गया।

जेएसबीएवाई के तहत एजेंसियों ने एक से नौ महीने के विलंब के बाद 2,38,848 मीटर-विहीन विद्युत-संबंध के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 52,310 मीटर-विहीन विद्युत-संबंधों को मीटर संबंध में परिवर्तित किया क्योंकि संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों के डीजीएम ने विक्रेताओं को उपभोक्ताओं की सूची प्रदान नहीं की थी।

नमूना-जांचित सात जिलों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी कुल 5,23,295 विद्युत-संबंधों में से केवल 2,93,334 उपभोक्ताओं का ही बिल भेजा जा रहा था। 431 उपभोक्ताओं की समीक्षा से पता चला कि विद्युत-संबंध जारी होने की तिथि से दो से 27 माह के बीच की विलंब से बिलिंग शुरू की गई थी। इसके अतिरिक्त, 200 बिना मीटर/खराब मीटर उपभोक्ताओं, जिनके मीटर बदले गए थे, के ऊर्जा बिलों की जांच से पता चला कि 182 उपभोक्ताओं को मीटर बदलने के आठ से 23 महीने बीत जाने के बाद भी औसत आधार पर बिलिंग किया जा रहा है।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान ग्रामीण उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क का संग्रह डीएस-I(ए) टैरिफ के तहत 15.46 और 13.98 प्रतिशत और डीएस-I(बी) टैरिफ के तहत क्रमशः 46.77 और 38.81 प्रतिशत था, जिसमें झारखण्ड सरकार से प्राप्त सब्सिडी को शामिल नहीं किया गया था। जेबीवीएनएल वर्ष 2018-19 तक लक्षित समेकित तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीसी) हानि 15 प्रतिशत हासिल नहीं कर सका जैसा कि उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत परिकल्पित था और 2019-20 के दौरान एटीसी हानि 33.49 प्रतिशत थी। विद्युत मंत्रालय (उर्जा मंत्रालय) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर एटीसी हानि को रखने में विफलता के परिणामस्वरूप, जेबीवीएनएल डीडीयुजीजेवाई के अंतर्गत ऋण घटक को अनुदान में बदलने के अवसर का लाभ उठाने में सक्षम नहीं होगा।